



BACKGROUNDEERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत की जैव-विविधता: प्रतिबद्धताएँ और उपलब्धियाँ

कानूनी ढांचे से लेकर स्थानीय कार्रवाई तक

05 जून 2026

भारत की जैव विविधता का संचालन त्रि-स्तरीय संरचना पर आधारित है। इसके तहत यह संरचना जैव विविधता की राष्ट्रीय नीति को राज्य स्तरीय कार्रवाई और स्थानीय स्तर के क्रियान्वयन से जोड़ती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है जबकि राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित जैव विविधता परिषद प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर इन्हें निर्देशित करते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन कमेटियां लोगों की जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं और सामुदायिक स्तर पर संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। भारत में अभी तक करीब 276653 जैव विविधता कमेटियों का गठन हुआ है और करीब 272648 जैव विविधता रजिस्टर निर्मित किये गए हैं जिनमें समूचे देश की अनेक स्थानीय प्रजातियों, पारिस्थितिकी और परंपरागत ज्ञान का दत्तावेजीकरण किया गया है। कुल मिलाकर ये संस्थाएं और इनकी कार्य प्रक्रियाएं हमें वैश्विक स्तर की जैव विविधता के पारिस्थितिकी संतुलन से तालमेल बिठाने में मदद करती हैं।

एक लचीले भविष्य के लिए प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण

जैव-विविधता भारत की पर्यावरणीय और विकास प्राथमिकताओं का केंद्र है। यह खाद्य सुरक्षा, आजीविका, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिक संतुलन का समर्थन करती है। भारत के वन, आर्द्रभूमि, पर्वत, समुद्री तट, मरुस्थल, घास के मैदान और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विविध प्रजातियों और समुदायों को बनाए रखते हैं। लाखों स्थानीय समुदाय दैनिक जीवन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। भारत नीतियों, संस्थाओं और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैश्विक ढांचों के अनुरूप अपनी प्राकृतिक पूंजी और जैव-विविधता प्रतिबद्धताओं को बनाए रखता रहता है। इन प्रयासों के माध्यम से भारत वैश्विक जैव-विविधता लक्ष्यों में योगदान देता है और राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर संरक्षण को मजबूत करता है। भारत का दृष्टिकोण स्थानीय प्रबंधन पर

जोर देता है, क्योंकि यह माना जाता है कि समुदाय-नीत कार्रवाई व्यापक जैव-विविधता परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

पिछले दशक में, भारत ने वैज्ञानिक प्रबंधन, आवास पुनर्स्थापना, प्रजाति पुनर्वास कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर जैव-विविधता संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, वन्यजीव मॉनिटरिंग को मजबूत करना, अवक्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्स्थापन और जैविक संसाधनों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों ने पारिस्थितिक लचीलापन बढ़ाया है, स्थानीय आजीविका का समर्थन किया है और जैव-विविधता संरक्षण में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। संरक्षण लक्ष्यों को स्थायी विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करके, भारत भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित करने और समावेशी व पर्यावरण-जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।










जैव-विविधता को समझना और उसका महत्व

जैव-विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और वे पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं जो इसे बनाते हैं। यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है और परागण, मृदा निर्माण, पोषक चक्र, जल शुद्धिकरण और जलवायु नियमन जैसे प्रमुख पारिस्थितिकी सेवाओं का समर्थन करती है। जैव-विविधता प्राकृतिक तंत्रों को बनाए रखती है जो जीवन को संभव और उत्पादक बनाते हैं।

जैव-विविधता पर्यावरण और मानव समाजों दोनों के स्वास्थ्य के लिए केंद्रित है। व्यावहारिक रूप से, जैव-विविधता वही है जो पारिस्थितिकी तंत्रों को कार्यशील, लचीला और लोगों का समर्थन करने योग्य बनाती है। जैव-विविधता की रक्षा केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भारत जैसा पारिस्थितिक रूप से विविध देश के लिए एक विकास प्राथमिकता भी है।

What Biodiversity is



Gene	Species	Ecosystem
 <p>Red Delicious Apple</p>	 <p>Tiger</p>	 <p>Forest</p>
 <p>Granny Smith Apple</p>	 <p>Lion</p>	 <p>Marine</p>
 <p>Golden Delicious Apple</p>	 <p>Rhinoceros</p>	 <p>Wetland</p>

Biodiversity is the variety of life at genetic, species and ecosystem level.


Source: Convention on Biodiversity

क्या आप जानते हैं ?

जीन को वंशागति की मूल इकाई माना जाता है। जीन माता-पिता से संतान को संप्रेषित होते हैं और भौतिक व जैविक लक्षणों को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, रेड एप्पल, ग्रेनी स्मिथ एप्पल और गोल्डन एप्पल सेब के विभिन्न सांख्यिकीय भिन्न हैं।

वहीं, प्रजाति एक जीवों का समूह है जो सफलतापूर्वक प्रजनन करके प्रजनन क्षमता वाली संतति उत्पन्न कर सकते हैं। यह प्रजाति परिभाषा प्रजनन के आधार पर जानवरों, पौधों और जीवन के अन्य रूपों को समूहों में विभाजित करती है। उदाहरण के लिए, बाघ, शेर और गैंडा अलग-अलग जानवर प्रजातियाँ हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव, तथा मौसम और परिदृश्य मिलकर जीवन बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित कारक और अजीव कारक दोनों होते हैं। जीवित कारकों में पौधे, जानवर और अन्य जीव शामिल हैं। अजीव कारकों में चट्टानें, तापमान और आर्द्रता शामिल हैं।



भारत का जैव-विविधता ढांचा

भारत का जैव-विविधता ढांचा संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए कानूनों, नीतियों, संस्थाओं और कार्यक्रमों को मिलाता है। यह न्यायसंगत लाभ साझाकरण को भी बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वैश्विक जैव-विविधता प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करता है।

जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित)

जैव-विविधता अधिनियम, 2002 भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा है जो जैव-विविधता के संरक्षण, स्थायी उपयोग और न्यायसंगत लाभ साझाकरण के लिए है। यह राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर जैव-विविधता शासन के लिए सांविधानिक आधार प्रदान करता है। यह कानून जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का भी समर्थन करता है। यह पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए भी प्रावधान करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि जैविक संसाधनों के उपयोग को ऐसे संसाधनों के प्रदाताओं के लिए न्यायसंगत वापसी से जोड़ा जाए।

जैव-विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने इस ढांचे को और मजबूत किया है, जिससे कार्यान्वयन अधिक सुविधाजनक और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप हो गया है। यह शोध, नवाचार और पारंपरिक ज्ञान-आधारित अभ्यासों का समर्थन करता है और अनुपालन और शासन कुशलता में सुधार करता है। संशोधन सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय जैव-विविधता दस्तावेजीकरण को भी मजबूत करता है, जो प्रभावी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

क्या आप जानते हैं?


व्यावहारिक रूप से, भारत के ढांचे के तहत, "पारंपरिक ज्ञान" जैविक संसाधनों और उनके उपयोग (खाद्य, आयुर्वेद, कृषि, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभ्यासों) के बारे में समुदाय-रखी गई ज्ञान को कवर करता है, जो पीढ़ियों से संप्रेषित होता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रथागत अभ्यासों के साथ निकटता से जुड़ा होता है।

कुल मिलाकर, अधिनियम और उसका संशोधन भारत के जैव-विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए एक संतुलित कानूनी आधार प्रदान करते हैं:

तीन-स्तरीय शासन संरचना

जैव-विविधता अधिनियम, 2002, एक 3-स्तरीय शासन संरचना के लिए प्रावधान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBA) संरक्षण, स्थायी उपयोग और लाभ साझाकरण पर सलाह देता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, राज्य जैव-विविधता बोर्ड (SBBs) और संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता परिषदें (UTBCs) इन प्राथमिकताओं को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुकूल बनाते हैं। स्थानीय स्तर पर, जैव-विविधता प्रबंधन समितियां (BMC) जनता के जैव-विविधता रजिस्टर (PBRs) तैयार करती हैं और सामुदायिक कार्रवाई का समर्थन करती हैं। यह संरचना वैश्विक और राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों को गांवों, कस्बों और शहरों तक ले जाने में मदद करती है।

3-Tier Governance Structure



Source: Biological Diversity Act, 2002

● वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन

इस शासन प्रणाली को विशेषज्ञ वैज्ञानिक संस्थान मजबूत करते हैं। वन्यजीव सर्वेक्षण भारत (ZSI) और पौधे सर्वेक्षण भारत (BSI) जानवरों और पौधों की विविधता को दस्तावेजित करते हैं। वन सर्वेक्षण भारत (FSI) नियमित वन राज्य रिपोर्ट्स (State of Forest Reports) में वन और वृक्ष आवरण का मानचित्रण करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और राज्य वन विभाग बाघों और उनके आवास के संरक्षण का समर्थन करते हैं।

जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत, देश भर में विभिन्न श्रेणियों के जैविक संसाधनों के लिए 20 संस्थानों को राष्ट्रीय भंडारण (national repositories) के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में दो अतिरिक्त प्रमुख संस्थानों को सूचित किया गया है, जो सुरक्षित निगरानी और दस्तावेजीकरण के लिए इस राष्ट्रीय भंडारण नेटवर्क को और मजबूत कर रहे हैं।

जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39

धारा 39 केंद्र सरकार को विभिन्न श्रेणियों के जैविक संसाधनों के लिए संस्थानों को भंडारण के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है। ये भंडारण वाउचर नमूने सहित जैविक सामग्री की सुरक्षित निगरानी का समर्थन करेंगे और मजबूत करेंगे। ये नई खोजी गई प्रजातियों के दस्तावेजीकरण और शोध और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जैविक संसाधनों का भी समर्थन करते हैं।

इसके अलावा, किसी नए टैक्सान की खोज करने वाला व्यक्ति को नियुक्त भंडारण को सूचित करना और संबंधित वाउचर नमूने जमा करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, NBA ने भंडारण के रूप में नियुक्त होने के लिए संस्थानों के लिए मानदंडों के निर्देश जारी किए हैं।

- सामुदायिक स्तरीय संस्थाएं

स्थानीय संस्थाएं वैश्विक जैव-विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में समुदाय-नेतृत्व कार्यवाही की भूमिका को दर्शाती हैं। देश भर में जैव-विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) जनता के जैव-विविधता रजिस्टर (People's Biodiversity Registers) तैयार और अपडेट कर रही हैं। ये रजिस्टर स्थानीय स्तर पर प्रजातियों, आवासों और पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड करते हैं। ये संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करते हैं। रजिस्ट्रों को अपडेट और डिजिटल करने के लिए राष्ट्रीय अभियान इस ग्रामीण आधार को और मजबूत कर रहे हैं। इस वास्तुकला ने संरक्षित क्षेत्रों, वन और वृक्ष आवरण, प्रजाति संरक्षण और स्थानीय प्रबंधन ५२ हाल ही में मजबूत लाभों को सक्षम किया है।

- राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण कोष (NBAF)

राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण कोष जैव-विविधता अधिनियम की धारा 27 के तहत बनायी गई एक सांविधानिक कोष है। यह लाभ साझाकरण और संरक्षण-संबंधी उपयोग के लिए तंत्र प्रदान करके जैव-विविधता शासन का और समर्थन करता है।

जैव-विविधता वित्त पहल

जैव-विविधता वित्त भारत (Biodiversity Finance India) को 2015 में एक वित्त योजना पहल के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जैव-विविधता वित्तपोषण की जरूरतों की पहचान करना और संरक्षण के लिए संसाधनों को जुटाना है। यह पहल UNDP के व्यापक BIOFIN ढांचे से जुड़ी है और भारत के प्रयास को दर्शाती है कि संरक्षण को वित्तीय रूप से स्थायी बनाया जाए।

सरल शब्दों में, BIOFIN-भारत वित्त को पहचानने और जुटाने पर केंद्रित है, जबकि NBAF (राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण कोष) संरक्षण और लाभ साझाकरण के लिए एक सांविधानिक तंत्र के माध्यम से संसाधनों को चैनल करता है। दोनों मिलकर, योजना और कार्यान्वयन दोनों के माध्यम से भारत के जैव-विविधता शासन को मजबूत करते हैं।

- जनता का जैव-विविधता रजिस्टर (PBR)

जनता का जैव-विविधता रजिस्टर स्थानीय जैव-विविधता डेटाबेस है जो सामुदायिक भागीदारी के साथ तैयार किया जाता है। यह जैविक संसाधनों, आवासों, भूमि प्रजातियों, लोक भिन्नताओं, खेती की किस्मों, पालतू stock, नस्लों, सूक्ष्मजीवों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान को रिकॉर्ड करता है। जैव-विविधता अधिनियम के तहत, जैव-विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय लोगों के परामर्श से इसे तैयार करती है।

PBR दस्तावेजीकरण, संरक्षण और लाभ साझाकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देश भर में लगभग 2,72,648 ऐसे रजिस्टर तैयार किए गए हैं। यह दर्शाता है कि यह उपकरण भारत के जैव-विविधता शासन में व्यावहारिक महत्व प्राप्त कर चुका है। यह देश के मजबूत संरक्षण कार्रवाई के आधार के रूप में स्थानीय दस्तावेजीकरण पर जोर को भी परावर्तित करता है।

राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति और कार्ययोजना (NBSAP 2024-2030)

राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) भारत को जैव-विविधता के संरक्षण और उसका स्थायी उपयोग के लिए दीर्घकालिक नीति दिशा प्रदान करती है। यह वैश्विक जैव-विविधता प्रतिबद्धताओं को भारत के पारिस्थितिक और विकास संदर्भ के अनुकूल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अनुवादित करती है। यह योजना मंत्रालयों, संस्थाओं और स्थानीय निकायों के बीच समन्वित कार्रवाई को भी मार्गदर्शन करती है। यह जैव-विविधता संरक्षण के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण को परावर्तित करती है।

जैव विविधता संरक्षण का नजरिया

2024 से 2030 तक के अद्यतन योजना को कुन्मिंग-मोंट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढांचे (KMGBF) के साथ संरेखित किया गया है, जिससे इसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता मिलती है।

कुन्मिंग-मोंट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढांचा (KMGBF)

CBD के COP15 के दौरान कनाडा के मोंट्रियल में अपनाया गया जो चीन और कनाडा के सह-अध्यक्षता में, दिसंबर 2022 में 196 राष्ट्रों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 2030 तक जैव-विविधता हानि को रोकने और उल्टा करने और 2050 तक "प्रकृति के साथ सहमति में जीवित" के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए है।

हाल ही में, MoEFCC ने CBD को भारत की सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR-7) जमा की है, जो CBD के उद्देश्यों के लिए अपने प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करती है। NR-7 कानूनों, लक्ष्यों और सभी क्षेत्रों और सरकार के स्तरों पर की गई मुख्य कार्रवाइयों के साथ जैव-विविधता की स्थिति का एक व्यापक, संकेतक-आधारित राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

● राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप (2025-2030)


राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप भारत के जैव-विविधता संरक्षण वास्तुकला को मजबूत करने और अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन्यजीव सर्वेक्षण भारत (ZSI) और botanical सर्वेक्षण भारत (BSI) द्वारा, IUCN-भारत और सेंटर फॉर स्पेशीज सल्वेज, भारत के समर्थन के साथ, रोडमैप एक राष्ट्रीय समन्वित, विज्ञान-आधारित संकटग्रस्त-प्रजाति मूल्यांकन प्रणाली स्थापित

करेगा। यह भारत को संरक्षण प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और नीति और कार्रवाई के लिए मजबूत सबूत आधार बनाने में भी मदद करेगा।

.रोडमैप को KMGBF के तहत भारत के broader जैव-विविधता प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित किया गया है, विशेष रूप से 2030 तक प्रजाति स्थिति मूल्यांकन में सुधार और संरक्षण कार्रवाई को मार्गदर्शन करने के लक्ष्य के साथ।

मुख्य उपलब्धियाँ

भारत ने जैव-विविधता संरक्षण में स्थिर प्रगति की है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन पर दृश्य रूप से मजबूत परिणाम मिले हैं।



वन और संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार

भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत कवर करता है। रिकॉर्ड किया गया वन क्षेत्र लगभग 7.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 5.20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक वास्तविक वन आवरण है। भारत के पास 1,87,592 वर्ग किलोमीटर से अधिक कवर करने वाले 1134 से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जो देश भर में महत्वपूर्ण आवासों और पारिस्थितिकी सेवाओं का समर्थन करते हैं।

प्रजाति संरक्षण को मजबूत करना

भारत ने प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण में वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता प्राप्त की है। बाघ की आबादी 2014 में 2,226 से बढ़कर ताजा अनुमानों में 3,682 हो गई है। प्रजाति डेटाबेस और मॉनिटरिंग प्रणालियों को वन्यजीव संस्थान भारत, ZSI और BSI जैसे संस्थानों के माध्यम से भी मजबूत किया जा रहा है।

सामुदायिक और शासन परिणामों को गहरा करना

भारत ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में देश भर में 2,76,653 से अधिक BMCs का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया है। इन समितियों ने देश भर में 2,72,648 से अधिक जनता के जैव-विविधता रजिस्टर तैयार किए हैं। इन रजिस्ट्रों को अपडेट, सत्यापित और डिजिटल करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान भी चल रहा है, जिसे ePBRs में बदला जा रहा है। यह प्रयास स्थानीय प्रजातियों, आवासों और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण को व्यवस्थित तरीके से मजबूत कर रहा है। यह सरकार के जैव-विविधता प्रबंधन में मुख्य साझेदार के रूप में समुदायों को सशक्त बनाने पर ध्यान को भी परावर्तित करता है।

ए बी एस प्रणाली

ABS का कार्यान्वयन BD अधिनियम पर आधारित है, जो जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को नियमन करने और लाभ दावेदारों सहित स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत और समान लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। 2017-2026 के दौरान, भारत ने लाभ साझाकरण और संरक्षण-संबंधित कार्यों का समर्थन करने के लिए समर्पित कोषों से 12,830 लाभ हेतु अनुमोदन जारी किए। मई 2026 तक, देश भर में लाभार्थियों को लगभग ₹145 करोड़ जारी किए गए हैं, जो लगभग 11,000 जैव-विविधता प्रबंधन समितियों को लाभ दे रहे हैं।

ABS तंत्र

ABS e-filing पोर्टल

पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) e-filing पोर्टल जैव-विविधता शासन और पारदर्शिता को सरल बनाता है। इसे 30 मार्च 2017 को लॉन्च किया गया था। हालांकि, जैव-विविधता नियम 2014 के बाद, पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। यह निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया था। पोर्टल निम्न लाभ प्रदान करता है:

- ऑनलाइन आवेदन सबमिशन
- पारदर्शी प्रसंस्करण
- तेज मंजूरी
- न्यायसंगत लाभ साझाकरण

जैव-विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026: सारांश

22 मई 2026 को, पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन के मंत्री ने भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल में जैव-विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के राष्ट्रीय स्तर के पालन और चीता संरक्षण पर एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने CBD और कुन्मिंग-मोंट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढांचे के कार्यान्वयन के लिए भारत के प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम में कई जैव-विविधता प्रकाशनों, डिजिटल उपकरणों और बाह्य पदार्थों को जारी किया गया, जिसमें शामिल हैं:

- कस्टमाइज्ड MyStamp (व्यक्तिगत डाक टिकट शीट)
- भारत की जैव-विविधता रिपोर्ट 2026: CBD के लिए 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि
- ABS के कार्यान्वयन में भारत की प्रगति: नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि
- ABS एंड-टू-एंड पोर्टल

- पहुंच और लाभ साझाकरण पर फिल्म
- अमरकंटक जैव-विविधता विरासत साइट पर फिल्म
- मध्य प्रदेश के देवलोक वंस (पवित्र वन) के संरक्षण पर फिल्म

2026 के पालन ने भारत के मजबूत जैव-विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना और स्थायी विकास के लिए प्रतिबद्धता को उजागर किया। यह देश के पर्यावरणीय संरक्षण और समावेशी विकास और पारिस्थितिकी लचीलापन के संतुलन के दृष्टिकोण को भी मजबूत किया।

आज के लाभों से कल के लक्ष्यों तक

भारत के जैव-विविधता प्रयास अब CBD के तहत वैश्विक ढांचों के अनुरूप कानूनों, संस्थाओं और सामुदायिक-नेतृत्व कार्यवाई के मजबूत मिश्रण में जड़ित हैं। भारत वन और वृक्ष आवरण को मजबूत कर रहा है, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है, प्रजाति संरक्षण में सुधार कर रहा है और समन्वित तरीके से स्थानीय प्रबंधन को गहरा कर रहा है।

आगे देखते हुए, अद्यतन रणनीतियाँ, समर्पित वित्तपोषण और पारदर्शी राष्ट्रीय रिपोर्टिंग जैव-विविधता को स्थायी और समावेशी विकास के दिल में रखती हैं।

सरकार 2030 और उसके बाद संरक्षण परिणामों को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, सुरक्षित आजीविका और राष्ट्रीय विकास एक सकारात्मक चक्र में एक दूसरे को मजबूत कर सकें।

संदर्भ

पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?reid=67509®=3&lang=2>
- https://moef.gov.in/convention-on-biological-diversity-cbd?utm_source=chatgpt.com
- <https://moef.gov.in/wildlife-wl>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2176948®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2130587®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?reid=121919®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2249838®=3&lang=2>

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253157®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247439®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/newsite/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2070401®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240577®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240576®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107821®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=158047&NotelId=158047&ModuleId=3®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2249751®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2043006®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264014®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2076921®=3&lang=2>
- <https://ntca.gov.in/corridor-management/#corridor-management>
- <https://zsi.gov.in/>
- <https://bsi.gov.in/>
- <https://fsi.nic.in/forest-report-2023>
- <http://nbaindia.org/cebpol/pub/enewsletter2.pdf>
- <https://absefiling.nic.in/NBA/login/auth>
- <https://www.biofin.org/india>

वन जीवन संरक्षण परंपरा

- <https://www.cbd.int/gbf>
- <https://ort.cbd.int/national-reports/nr7/359D8BAC-9FD6-0ACE-BB25-309292A6A97D>
- <https://absch.cbd.int/en/countries/IN>

अन्य

- <https://sbb.haryanaforest.gov.in/project/peoples-biodiversity-register-pbr/>
- <https://www.genome.gov/genetics-glossary/Gene>
- <https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-a-species.html>
- <https://education.nationalgeographic.org/resource/ecosystem/>REFERENCES
- https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/21545/1/the_biological_diversity_act%2C_2002.pdf

पीके/ केसी/ एमएम